1 (iii) सरकार द्वारा प्रदत्त गारंटियां

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियमावली, 2004 के नियम 6 के अंतर्गत विवरण

(रिपोर्टिंग वर्ष 2021-22 के अंत की स्थिति के अनुसार)

(₹ करोड़)

श्रेणी	मंत्रालय/विभाग	वर्ष के दौरान गारंटीशुदा अधिकतम राशि	वर्ष के प्रारंभ में बकाया राशि	वर्ष के दौरान अभिवृद्धियां	वर्ष के दौरान कटौतियां (वर्ष के दौरान आवेदित राशि को छोड़कर)		वर्ष के दौरान आवेदित	वर्ष के अंत में बकाया		गारंटी कमीशन अथवा शुल्क	अन्य महत्वपूर्ण विवरण
					चुकाई गई	नहीं चुकाई गई		प्राप्य	प्राप्त		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को मूलधन की अदायगी और ब्याज का भुगतान; नकद ऋण की सुविधा, मौसमी कृषि कार्यों के लिए वित्त पोषण और/अथवा कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों के लिए कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराने के लिए प्रदान की गई गारंटियां।	कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग	40512.00 (6)	40512.00 (6)	...	17.64	...	...	40494.36 (6)	...	...	...
	वित्त मंत्रालय वित्तीय सेवाएं विभाग ^^	51679.15 (88)	27115.32 (64)	24563.83 (24)	3163.66 (5)	1770.84 (9)	...	46744.65 (74)	92.41	98.37	...
	वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग	0.01 (1)	0.01 (1)	...	...	...	...	0.01 (1)	...	...	...
	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	9495.00 (1)	9495.00 (1)	...	...	...	...	9495.00 (1)	...	...	...
	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ओद्योगिक और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग €	597.31 (1)	60.87 (1)	536.44	...	...	...	597.31 (1)	1.46	1.46	...
	रसायन और उर्वरक मंत्रालय भेषज विभाग $	1152.60 (4)	1152.60 (4)	...	...	...	...	1152.60 (4)	91.94	...	...
	जोड़	**103436.07 (101)**	**78335.80 (77)**	**25100.27 (24)**	**3181.30 (5)**	**1770.84 (9)**	...	**98483.93 (87)**	**185.81**	**99.83**	...
2. शेयर पूंजी की अदायगी, न्यूनतम वार्षिक लाभांश के भुगतान और सांविधिक निगमों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जारी अथवा जुटाए गए बांडों अथवा ऋणों, ऋण पत्रों की अदायगी के लिए प्रदान की गई गारंटियां।	रसायन और उर्वरक मंत्रालय रसायन और पेट्रोरसायन विभाग £	...	...	...	...	...	...	...	8.50	...	...
	विद्युत मंत्रालय	7000.00 (2)	7000.00 (2)	...	...	...	...	7000.00 (2)	70.00	70.00	...
	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	45000.00 (6)	37000.00 (5)	8000.00 (1)	8000.00 (1)	...	...	37000.00 (5)	...	...	...
	संचार मंत्रालय दूरसंचार विभाग *	22513.97 (10)	22513.97 (10)	...	...	...	...	22513.97 (10)	179.80	85.00	...
	जोड़	**74513.97 (18)**	**66513.97 (17)**	**8000.00 (1)**	**8000.00 (1)**	...	...	**66513.97 (17)**	**258.30**	**155.00**	...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, विदेशी ऋणदाता एजेंसियों, विदेशी सरकारों, संविदाकारों, आपूर्तिकर्ताओं, परामर्शदाताओं, आदि के साथ भारत सरकार द्वारा किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की अदायगी, ऋणों पर ब्याज/वचनबद्धता प्रभारों, इत्यादि का भुगतान और अथवा सामग्री और उपस्कर की आपूर्तियों हेतु किए गये भुगतान के लिए प्रदान की गई गारंटियां।	नागर विमानन मंत्रालय #	66643.98	34972.73	31671.25	44096.73	...	...	22547.25	2145.72	2145.21	...
		(43)	(39)	(4)	(37)			(6)			
	कोयला मंत्रालय	617.14	617.14	...	38.77	...	...	578.37	5.48	5.48	...
		(3)	(3)					(3)			
	विद्युत मंत्रालय	40072.84	38931.14	1141.70	3375.66	...	...	36697.18	74.68	74.68	...
		(43)	(43)					(43)			
	वित्त मंत्रालय										
	आर्थिक कार्य विभाग **	13562.71	10691.54	2871.17	505.76	...	...	13056.95	64.67	64.70	...
		(5)	(5)					(5)			
	वित्त मंत्रालय										
	वित्तीय सेवाएं विभाग **	200544.75	178127.49	22417.26	11745.86	...	...	188798.89	113.38	112.70	...
		(228)	(221)	(7)	(12)			(216)			
	सूक्ष्म, लघु और										
	मध्यम उद्यम मंत्रालय	52.56	52.19	0.37	4.21	...	...	48.35	0.21	0.21	...
		(3)	(3)					(3)			
	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	456.03	456.03	...	70.91	...	...	385.12	1.15	1.15	...
		(1)	(1)					(1)			
	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	12068.65	11053.18	1015.47	730.94	...	...	11337.71	116.26	116.26	...
		(17)	(17)		(2)			(15)			
	इस्पात मंत्रालय	343.39	343.39	...	32.88	...	...	310.51	0.92	0.92	...
		(2)	(2)					(2)			
	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय										
	वाणिज्य विभाग ##	1054.00	1054.00	...	...	...	...	1054.00	3.39	4.28	...
		(1)	(1)					(1)			
	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ^	1055.01	1055.01	...	183.28	...	...	871.73	11.96	12.19	...
		(4)	(4)					(4)			
	विदेश मंत्रालय	70872.36	68989.96	1882.40	...	...	...	70872.36	...	...	...
		(8)	(8)					(8)			
	रेल मंत्रालय ***	8057.72	6405.14	1652.58	215.42	...	...	7842.30	79.18	79.18	...
		(2)	(2)					(2)			
	जोड़	**415401.14**	**352748.94**	**62652.20**	**61000.42**	...	...	**354400.72**	**2617.00**	**2616.96**	...
		(360)	**(349)**	**(11)**	**(51)**			**(309)**			
4. विदेशी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा की गई आपूर्तियां अथवा दी गई सेवाओं के लिए उनको बैंकों द्वारा जारी ऋण पत्रों या प्राधिकार पत्रों पर विचार करते हुए बैंकों को प्रदान की गई प्रति गारंटियां।		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5. केंद्र सरकार की कंपनियों या निगमों द्वारा रेलवे को बकाया और यथासमय भुगतान करने के लिए प्रदान की गई गारंटियां।		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6. उपर्युक्त पांच श्रेणियों से इतर अन्य गारंटियां	**रेल मंत्रालय** ***	0.05 (1)	0.05 (1)	...	...	...	...	0.05 (1)	...	...	...
	जोड़	**0.05** **(1)**	**0.05** **(1)**	...	...	...	...	**0.05** **(1)**	...	...	...
	कुल जोड़	**593351.23** **(480)**	**497598.76** **(444)**	**95752.47** **(36)**	**72181.72** **(57)**	**1770.84** **(9)**	...	**519398.67** **(414)**	**3061.11**	**2871.79**	...

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े गारंटियों की संख्या को इंगित करते हैं।

टिप्पणी:

^^ गारंटी शुल्क प्राप्य और प्राप्तियों में भिन्नता आईआईएफसीएल की आईआईएफसी (यूके) सब्सिडियों के संबंध में विनिमय दर भिन्नता के कारण हुआ है।

€ इस गारंटी को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत अनभिप्रेत के रूप में दर्शाया गया है, जैसा कि पीएओ वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया है, यह उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग से संबंधित है, तथा इसमें संशोधन किया गया है।

$ इंडियन ड्रग्स फार्मासियुटिकल्स लि. द्वारा वर्ष 2021-22 के दौरान कोई भी गारंटी शुल्क/कमिशन भुगतान नहीं किया गया था क्योंकि कंपनी इसे भुगतान करने की स्थिति में नहीं थी।

£ ₹8.50 करोड़ की राशि यह दर्शाता है कि एचओसीएल से अभी भी पेनल गारंटी शुल्क प्राप्त किया जाना है।

* गारंटी को एक करके वर्ष 2020-21 के दौरान संचार मंत्रालय द्वारा गारंटी की कुल संख्या 9 उल्लेख किया गया था। अब प्रत्येक गारंटी को अलग अलग रूप से जोड़कर वर्ष 2021-22 के दौरान कुल 10 गारंटी उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त ₹94.80 करोड़ की गारंटी शुल्क वर्ष 2021-22 से संबंधित है जिसे 2020-21 में दूरसंचार विभाग के लिए रखा गया था।

₹0.51 करोड़ की गारंटी शुल्क प्राप्य और प्राप्ति में भिन्नता पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में भुगतान किया गया था।

** एनएचबी-₹287.24 करोड़ (4) नाबार्ड-₹640.15 करोड़ (6) और सिड्बी ₹5725.23 करोड़ (9) के संबंध में 31.03.2021 को समाप्ति तक बकाया राशि नियंत्रक कोड 116-डीएफएस में प्राप्त वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए गारंटी शुल्क के रूप में आर्थिक कार्य विभाग से वित्तीय सेवाएं विभाग को अंतरित की गई थी। अतः इन गारंटियों को वित्तीय सेवाएं विभाग के अंतर्गत दर्शाया गया है। वित्तीय सेवा विभाग के संबंध में गारंटी शुल्क प्राप्य और प्राप्तियों के बीच भिन्नता पूर्णांकित करने तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 से संबंधित वर्ष 2021-22 में 2021-22 में गारंटी शुल्क के अग्रिम भुगतान के कारण हुई है।

वर्ष 2021-22 में प्राप्य ₹3.39 करोड़ की गारंटी शुल्क प्राप्त हुई है जिसे वर्ष 2020-21 में शामिल किया गया है और वर्ष 2022-23 में ₹4.28 करोड़ की प्राप्य गारंटी शुल्क वर्ष 2021-22 में प्राप्त हुई थी।

^ वर्ष 2022-23 में प्राप्य गारंटी शुल्क ₹0.23 करोड़ है, परंतु यह वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान अग्रिम के रूप में प्राप्त हुआ था।

*** उक्त गारंटी को पिछले वर्ष अनभिप्रेत के रूप में श्रेणी III और VI के स्थान पर श्रेणी II के अंतर्गत दर्शाया गया है।

इसमें सुधार कर लिया गया है।

टिप्पणी :

1. उपर्युक्त आंकड़ें मंत्रालयों/विभागों द्वारा यथा सूचित लेखा महानियंत्रक कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत सूचना पर आधारित है। ये आंकड़ें बाद के रिकार्ड मिलान के कारण हुए परिवर्तनों से प्रभावित हो सकते हैं।
2. वर्ष 2022-22 के लिए निवल गारंटी संचय ₹ 23,570 करोड़ (कॉलम 5 से कॉलम 6 घटाकर) है । वर्ष 2021-22 के दौरान ₹95752.47 करोड़ की बढ़ोतरी हुई थी जो वर्ष 2021-2022 (अं.अ.) के लिए बाजार मूल्यों पर जीडीपी का 0.40 प्रतिशत है।
3. वित्त मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए (जनवरी, 2023 तक) ₹ 66,643.18 करोड़ की गारंटियों को वचनबद्ध/अनुमोदित किया गया है जो वर्ष 2022-23 (एफएई) ब.अ. में अनुमानित जीडीपी का 0.24% है तथा यह 0.5% की सीमा के भीतर है।
4. गारंटियां ऋण की अवधि तक वैध हैं और तत्संबंधी गारंटी करार में यथाउल्लिखित निबंधन एवं शर्तों के अध्यधीन निकाय द्वारा ऋण की अदायगी की सीमा तक आंशिक रूप से समाप्त हो जाती है।